संख्या–3746 / 26–3–2010–4(56) / 96–टी0सी0

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

श्री संजीव कुमार,
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर 2010

विषय :–शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिए अपेक्षित केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–2563–64 / स0क0 / शिक्षा / अनु0जा0दश0छा0 / 2010–11, दिनांक 4–10–2010(छायाप्रति संलग्न), जो आपको प्रेषित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–14011 / 12 / 2010–एससीडी–5, दिनांक 1–9–2010 के प्रस्तर–2 के बिन्दु संख्या–05 से वांछित सूचना / विवरण निदेशालय के उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है तथा दिनांक 17–9–2010 को बैठक में आपके साथ हुए विचार विमर्श के क्रम में केन्द्राश में बढोत्तरी के संबंध में भी निदेशालय के उक्त पत्र द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। इस प्रकार शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं02943 / 26–3–2010–4(56) / 96–टी0सी0 दिनांक 10 अगस्त 2010 द्वारा पूर्व प्रेषित केन्द्राश का प्रस्ताव रू0 37277.055लाख(वर्ष 2009–10 की देयता रू0 6965.43लाख वर्ष 2010–11 हेतु रू0 29982.79 लाख तथा बुक बैक योजना–रू0 328.835लाख) सुसंगत एवं औचित्यपूर्ण है।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 10100.00 लाख एवं रू0 20210.76 लाख को घटाते हुए शेष केन्द्राश रू0 6966.295 लाख (निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित शेष केन्द्रांश रू0 6637.46 लाख को संशोधित समझते हुए) अवमुक्त कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

राकेश जी0ओ0